

प्रेषक,

डा०भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून,

दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय:- राज्य विज्ञान महोत्सव 2018 तथा राज्य विज्ञान संगोष्ठी-2018 के आयोजन हेतु तथा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान संगोष्ठी /विज्ञान महोत्सव हेतु धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अर्थ-1/843/5क1(05)/2018-19, दिनांक 12 जुलाई, 2018, पत्र संख्या: पाठ्यक्रम/895-96/विज्ञान महोत्सव बजट/2018-19, दिनांक 21 जुलाई, 2018 एवं पत्र संख्या: पाठ्यक्रम/3244-47/विज्ञान महोत्सव बजट/2018-19, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 में विकास खण्ड स्तर, जिला मण्डल स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनियों/महोत्सव के आयोजन हेतु संलग्न परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित विवरणानुसार प्रश्नगत योजनान्तर्गत **₹0 21,64,360.00 (₹0 इक्कीस लाख चौंसठ हजार तीन सौ साठ मात्र)** की धनराशि की संलग्नक में उल्लिखित विभिन्न मदों में आपके निर्वर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/सुसंगत शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात किया जायेगा।
- सामग्री आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 रूल्स एवं शासन के विद्यमान वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट गैन्धुवल का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए, और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार, देहरादून को उपलब्ध करा दिया जाए। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाए एवं किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देयता न सृजित की जाए।
- मितव्ययता के संबंध में जारी किए गए शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आयोजनापरान्त एक माह पर अथवा वित्तीय वर्षान्त तक, जो भी पहले हो वास्तविक व्यय के आधार पर मदवार व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार यथा आवश्यकता मितव्ययिता ध्यान में रखकर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-18-जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन, 42-अन्य व्यय की मानक मद के नामें डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1447 /XXIV-3/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. वित्त विभाग(अनुभाग-3)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. विशेष कार्याधिकारी, सूचना महानिदेशक, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।


शासनादेश संख्या-1447/XXIV-3/18-2(170)/2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

अनुदान सं०-11

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	व्यय का विवरण	प्रस्तावित धनराशि			विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य विज्ञान महोत्सव, 2018 तथा विज्ञान सेमिनार, 2018 के आयोजन हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
		विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विज्ञान संगोष्ठी/मले (राज्य) 2018 के आयोजन हेतु	राज्य विज्ञान संगोष्ठी 2018 के आयोजन हेतु	राज्य विज्ञान महोत्सव, 2018 के आयोजन हेतु	
1.	महोत्सव के आयोजन में चाय/नाश्ता/भोजन आदि पर व्यय	—	12,960.00	2,87,400.00	3,00,360.00
2.	महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के यात्रा पर व्यय	—	50,000.00	5,00,000.00	5,50,000.00
3.	महोत्सव हेतु पण्डाल/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी/साउण्ड एवं लाइट पर व्यय	—	10,000.00	70,000.00	80,000.00
4.	महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के आवास एवं बिस्तर पर होने वाला व्यय	—	10,000.00	80,000.00	90,000.00
5.	रटेशनरी/फोटोग्राफी/मुद्रण	—	4,000.00	50,000.00	54,000.00
6.	पुरुस्कार पर व्यय	—	2,500.00	35,000.00	37,500.00
7.	अन्य व्यय	—	5,000.00	50,000.00	55,000.00
8.	विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर आयोजित विज्ञान संगोष्ठी एवं विज्ञान महोत्सव के आयोजनों पर होने वाले व्यय की राशि। (मुख्य शिक्षा अधिकारी को दी जाने वाली धनराशि)	9,97,500.00	—	—	9,97,500.00
	योग—	9,97,500.00	94,460.00	10,72,400.00	21,64,360.00

(रूपये इक्कीस लाख चौंसठ हजार तीन सौ साठ मात्र)


(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।